प्रेस नोट **03/11/2023**

मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 05 दोषसिद्ध अभियुक्तों को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹10000 से किया गया दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत आज दिनांक 03.11. 2023 को माननीय न्यायालय एएसजे नं0–1 जनपद मऊ द्वारा मु०अ०सं० 777/16 धारा 147,148,149, 323,336, 304,504,506 आईपीसी थाना सरायलखंसी में दोषसिद्ध 05 अभियुक्तों क्रमशः 1– बेचू पुत्र शिवनाथ यादव 2– फेकू यादव पुत्र शिवनाथ यादव 3– अरविन्द कुमार यादव पुत्र फेकू यादव 4– श्रीमती सुशीला देवी पत्नी बेचू यादव 5– आशा देवी पत्नी फेकू यादव निवासीगण अराजी तौफीर मठिया रणवीर पुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को 07–07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया है, जुर्माना न जमा करने पर 06–06 माह का अतरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय दिया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक सुनील मलिक, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी केश कुमार का सराहनीय योगदान रहा।